हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

<u>कार्यसूची</u>

षष्टम् सत्र

मंगलवार, 27 अगस्त, 2024/5 भाद्रपद, 1946(शक्)

<u>11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

1. **शोकोद्गार:**

स्वर्गीय श्री टेक चन्द, श्री नारायण सिंह स्वामी व श्री दौलत राम चौधरी, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार।

2. **प्रश्नोत्तर:**

(1) तारांकित :

(i)	स्थगित	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।
(ii)	दिन के लिए	

(2) अतारांकित :

(i)	स्थगित	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।
(ii)	दिन के लिए	

3. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, मंगलवार, 27 अगस्त, 2024 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवायेंगे।

4. **स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

(1) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 (2024 का अधिनियम संख्यांक 2);

(2) हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत उत्पादन पर जल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2023 (2024 का अधिनियम संख्यांक 3);

(3) हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023 (2024 का अधिनियम संख्यांक 4);

(4) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 5); और

(5) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का अधिनियम संख्यांक 6)।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री चन्द्र शेखर,** "*to call the attention of the House to the **Pathetic condition and poor execution of NH-70 (Hamirpur - Mandi) causing damages to water supply schemes and houses.***"

(2) **श्री विपिन सिंह परमार,** "नगरोटा बगवां के ट्रांसपोर्टर से करोड़ों की ठगी मामले के आरोपी को गिरफ्तार न करने से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

6. विधायी कार्य:

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि

बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 4)	हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

श्री जय राम ठाकुर
श्री चन्द्र शेखर
सुश्री अनुराधा राणा
श्री लोकेन्दर कुमार
श्री सुरेन्द्र शौरी } प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004 (यशपाल शर्मा)
दिनांक: 24 अगस्त, 2024 सचिव।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)